Outstanding Amount of Sugarcane

***57. Smt. Shalley Chaudhry (Naraingarh):**

Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that the approximately Rs 50-60 crore of the farmers is outstanding towards the Naraingarh Sugar Mill and the farmers of State are in great confusion due to the recent decision of the court on this mill; and

b) the action being taken by the Government to establish this Mill as Co-operative Mill and to pay the outstanding amount of the farmers; and

c) the steps are being taken by the Government upon the effects of the court's decision on the farmers?

SHRI JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER

A statement is laid on the table of the House

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO STARRED ASSEMBLY QUESTION NO. *57 REGARDING OUTSTANDING AMOUNT OF THE SUGARCANE TOWARDS THE NARAINGARH SUGAR MILL, EFFECTS OF RECENT DECISION OF COURT ON THE FARMERS AND TO ESTABLISH THIS SUGAR MILL AS CO-OPERATIVE MILL.

a) Yes Sir, an amount of approximately Rs. 25.00 crore may remain outstanding as cane price arrears by the end of current sugar season 2023-24 towards the Naraingarh Sugar Mills Ltd., Narainagrh in comparison to the cane price arrears of Rs. 33.04 crore at the end of last sugar season 2022-23.

b) Naraingarh Sugar Mills Ltd. is a privately owned company. There is no proposal under consideration with the State Govt. to establish this Sugar Mills as Co-operative Mill. However, in public interest, the Government has been exercising an oversight over the functioning of the Naraingarh Sugar Mills Ltd. to ensure that arrears of cane payments are reduced and eliminated in due course. The Government has been successful in pursuing this strategy as seen by reduction in the arrears of cane payments over the last 3 years.

c) The State Govt. is committed to watch the interest of the farmers. The Ambala Central Co-operative Bank, Ambala had filed an application before the Supreme Court Committee on dated 11.12.2023.

----------x----------

गन्ने की बकाया राशि

***57 श्रीमती शैली चैधरी (नारायणगढ़):**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या यह तथ्य है कि नारायणगढ़ चीनी मिल पर किसानों का लगभग रुपए 50-60 करोड बकाया हैं तथा राज्य के किसान इस मिल पर न्यायालय के हाल ही के निर्णय के कारण अत्यधिक असमंजस में हैं ;

(ख) सरकार द्वारा इस मिल को सहकारी मिल के रूप में स्थापित करने तथा किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है; तथा

(ग) न्यायालय के निर्णय से किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री जय प्रकाश दलाल, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री ।

सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

नारायणगढ़ चीनी मिल पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य, न्यायालय के हाल ही के निर्णय से किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इस चीनी मिल को सहकारी चीनी मिल के तौर पर स्थापित करने के सन्दर्भ में विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 57 के सन्दर्भ में वक्तव्य।

क) हाँ श्रीमान जी, नारायणगढ़ चीनी मिल लि0 नारायणगढ़ की ओर वर्तमान चीनी सीज़न 2023-24 के अंत तक लगभग 25 करोड़ रुपये की गन्ना मूल्य की राशि बकाया के रूप में रह सकते है पिछले चीनी सीज़न 2022-23 के अन्त में 33.04 करोड़ रुपये बकाया गन्ना मूल्य राशि की तुलना में।

ख) नारायणगढ़ चीनी मिल लि0 एक निजि स्वामित्व कम्पनी है। इस चीनी मिल को सहकारी मिल के रूप में स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नही है। हालांकि बकाया गन्ना भुगतान को घटाने तथा समय पर भुगतान को सुनिश्चि करने के लिए सरकार द्वारा, जनहित में, नारायणगढ़ चीनी मिल लि0 के कामकाज पर निगरानी रखी जा रही है। सरकार इस रणनीति को आगे बढ़ाने में सफल रही है, जैसा कि पिछले तीन वर्षों में गन्ना भुगतान के बकाया में कमी से देखा जा सकता है।

ग राज्य सरकार किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अम्बाला केन्द्रीय सहकारी बैंक, अम्बाला ने दिनांक 11.12.2023 को सर्वोच्च न्यायालय कमेटी के समक्ष एक आवेदन दायर कर दिया है।